

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प 4(IV)/कृ.यंत्र/2017-18/4744-4938


दिनांक: 30/10/2017

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.....।

विषय :- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2017-18 में संशोधन बाबत।

संदर्भ:- कृषि आयुक्तालय के पूर्व दिशा-निर्देश पत्रांक प 4(IV)/कृ.यंत्र/2017-18/2272-2498 दिनांक 03.07.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रांक से जारी दिशा-निर्देश पत्रांक के बिन्दु क्रमांक IV के बिन्दु संख्या 4 के अन्तर्गत इस योजना का वित्त पोषण बैंकों द्वारा एम.एस.ई. (Micro and Small Enterprise) सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इस सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत चयनित फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा बैंकों से की गई वार्ता एवं प्राप्त सुझावों के आधार पर कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता बैंकों द्वारा एम.एस.ई. (Micro and Small Enterprise) सेक्टर के अन्तर्गत अथवा बैंकों की अन्य प्रचलित योजनाओं जिनके अन्तर्गत ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय पर ऋण दिया जाना संभव हो सके, का समावेश तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।


(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि


क्रमांक-प.4 (iv) यंत्र/2017-18/4744-4938

दिनांक: 30/10/2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त.....।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. निदेशक, अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. डीन, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर।
7. निदेशक, अनुसंधान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. निदेशक (रा.कृ.प्रबंध संस्थान/आत्मा समेति) दुर्गापुरा, जयपुर।

9. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान/समन्वय), मुख्यालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना/आईसोपॉम/आदान/प्र0एवंमू0/पौ0सं0/एटीसी/-शस्य ज0उ0प्र0/गु0नि0/रसायन/विस्तार/आर.के.वी.वाई), मुख्यालय जयपुर।
11. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0/तिलहन).....।
13. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
14. उप निदेशक, कृषि (विस्तार/बीज/सूचना/सांख्यिकी/योजना/रसायन/एसीपी), मु0 जयपुर।
15. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/ईगानप, बीकानर.....।
16. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार).....।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
18. किसान कॉल सेन्टर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
19. अध्यक्ष, एग्रीकल्चर इक्विपमेन्ट मैनुफैक्चरिंग सोसाईटी, जयपुर।
20. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य में निजी हित ग्राहियों/उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों, कृषि यंत्र विनिर्माताओं फर्मों के स्वयं के द्वारा अथवा फ्रेन्चाइजी के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश सदस्य बैंकर्स को भिजवाने की व्यवस्था करने हेतु।
21. ई.एम.3 एग्रीसर्विसेस प्रा0 लि0, नोएडा/महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0, मुम्बई/ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0, चेन्नई।
22. आरक्षी पत्रावली।


 (कै. एन. खण्डेलवाल)
 उप निदेशक कृषि (अभि0)